

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु० न० 75/16 तारीख रजू 9.11.16

उजवान - खिलाड़ी बनाम चन्नेकै
प्रार्थना पत्र आख्यायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से सुरेश चन्द्र शर्मा A.W. ने प्रार्थना पत्र आख्यायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गणों को जरिये नोटिस से तालब कर दिनांक 21.11.16 को पेश हो।

3509-11
9.11.16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (स्टरीटरी)

21.11.16

प्रार्थी पकील उप०। अर्थात् नं. 1, 9, 10 की ओर से श्रीमदन मोहन शर्मा A.W. ने मीमो पेश किया। अतिवारी नं. 4 की ओर से श्री सुनील कुमार निराल A.W. ने उपस्थिति दर्ज कराई। अर्थात् नं. 2, 5 स्वपं उपस्थित। अर्थात् नं. 3, 6, 7, 8, 11 उपस्थित नहीं की। P.O. साहब करौली मीलों में पधारे ली वसि पेश करने वकालतनामा व जबरब दिनांक 24.11.16 को पेश हो।


6 पं०


6 वंशीराम

24.11.16

वकालतनाय उप०। अर्थात् नं 3 स्वपं उपस्थित। P.O. सा. जयपुर पधारे की गतनुसार वकालतनामा एवं जबरब पेश करने दिनांक 5.12.16 को पेश हो।


6 पुत्रवाडी

यालय उप जिला कलेक्टर टीडाभीम

फर्द अहकाम

इसलिए जखब पेश होने अन्य प्रकार के साथ दिनांक
1-17 को पेश हो।

बहुबाप उपस्थित / वाले जबाब देना
22-2-17 को पेश हो।


नि. उपदेवी

2-17 - वकुलाय उपाखित अप्राचीय प्रेम देवी उपाखित नहीं।
इसलिए इससे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी
जाती है। जबाब पेश करने पुनः समय पाए। जबाब पेश
करने का पर्याप्त समय दिया जा चुका है अब एक मी का देकर
दिखायत की जाती है कि आगामी सुनवाई तिथि पर जबाब
पेश नहीं किया जाता है तो जबाब खत ही बन्द हो जायेगा
दिनांक 27-2-17 को पेश हो।

27-2-17 प्राचीय वकील उपाखित नहीं। अप्राचीय नं 1, 2, 10 के
वकील व अप्राचीय न 4 के वकील ने जबाब पेश किया शामिल
किया। प्राचीय वकील उपाखित नहीं होने के कारण बार 2 आवाज
दिखायी गयी। फिर भी प्राचीय वकील व प्राचीय नं 1 में से कोई
उपाखित नहीं। इसलिए अदम हाजरी अदम पेशी में प्रार्थना
पत्र क्षयायी निबेदाज्ञा खारिज किया जाता है। कनावली
के सल सुमार होकर 2 नम्बर से कम कर दीजिए दफतर
हो।